निगरानी 2330-I-15

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

1. श्रीमति विमला देवी पत्नि लखनलाल पांडे
   निवासी वार्ड नं. 16 पन्ना रोड छतरपुर
2. श्रीमान शुक्ला पुत्र मदनगोपाल शुक्ला
3. कौशल किशोर तनय स्व. श्री सीताराम शुक्ला
4. अवध किशोर तनय स्व. श्री सीताराम शुक्ला
5. जुगल किशारे तनय स्व. श्री सीताराम शुक्ला
6. युगल किशोर तनय स्व. श्री सीताराम शुक्ला
   निवासीगण पटवारी मोहल्ला,
   मदन मार्ग वार्ड नं. 28 छतरपुर .....आवेदकगण

//विरूद्ध//

श्रीमति अल्का सिंह पत्नि जोगेन्दर सिंह
निवासी पन्ना जिला पन्ना .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार

उपरोक्त आवेदकगण ने न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार जिला छतरपुर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमाँक 11/अ–6–अ/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 24–03–1999 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, मौजा छतरपुर स्थित भूमि खसरा कमांक 1788/1 आवेदकगणों की कयशुदा भूमि है जिस पर वह काबिज है तथा उनके द्वारा भवन निर्माण कार्य भी कराया जा चुका हैं। अनावेदक द्वारा तहसीलदार छतरपुर के समक्ष उक्त भूमि की तरमीम किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर तहसीलदार छतरपुर द्वारा विधि–विपरीत आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर आवेदकगण की यह निगरानी सशक्त आधारों पर प्रस्तुत है।

2. यह कि, आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.-2330-एक/ 2017 जिला- छतरपुर

विमला देवी आदि विरूद्ध श्रीमती अल्का सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एम.पी. भटनानगर उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के याचिका क्रमांक WP-1355-/2015 में पारित आदेश दिनांक 05-03-2018 के द्वारा पुन: सुनवाई हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 05-03-2018 के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका पुन: सुनवाई की गई। 3. आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 11/अ-6-अ/1998-99 में पारित आदेश दिनांक 24-03-1999 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 24-07-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है। उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।''	

5. तहसीलदार जिला-छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है। अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा।

6. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

(आर.के. जैन)
सदस्य
2/1/19